इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 523] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2021—पौष 9, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2021

क्र. 17248-330-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक १५ सन् २०२१

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२१

[''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ३० दिसम्बर, २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत:, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२१ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक १ सन् १९९४ का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा १०क का अंत:स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा १० के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

विहित कालावधि की समाप्ति के पश्चात् पंचायतों के परिसीमन और पंचायतों के वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन का निरस्तीकरण.

१०-क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां ग्राम पंचायत या उसके वार्डों अथवा जनपद पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा जिला पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन ऐसी पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किया जाता है किन्तु उसके निर्वाचन की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी कारण से ऐसे परिसीमन अथवा विभाजन के प्रकाशन की तारीख से अठारह मास की कालावधि के भीतर जारी नहीं की जाती है, तब इस प्रकार प्रकाशित ग्राम पंचायत या उसके वार्डों, अथवा जनपद पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों, अथवा जिला पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन उस तारीख से अठारह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् निरस्त समझा जाएगा, जिस तारीख को उक्त परिसीमन अथवा विभाजन प्रकाशित हुआ था तथा इन पंचायतों और उनके वार्डों अथवा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार फिर से किया जाएगा.''.

भोपाल:
तारीख ३० दिसम्बर २०२१

मंगुभाई छ. पटेल
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2021

क्र. 17248-330-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 15 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 15 OF 2021

THE MADHYA PRADESH PANCHAYAT RAJ AVAM GRAM SWARAJ (DWITIYA SANSHODHAN) ADHYADESH, 2021

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 30th December, 2021.]

Promulgated by the Governor in the seventy second year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title

1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj (Dwitiya Sanshodhan) Adhyadesh, 2021.

Madhya Pradesh Act No. 1 of 1994 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendment specified in Section 3.

Insertion of section 10A.

3. After Section 10 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

Annulment of delimitation of Panchayats and division of wards or constituencies of Panchayats after expiry of prescribed period.

"10A. Notwithstanding anything contained in this Act, where the Gram Panchayat or its wards, or the Janpad Panchayat or its constituencies, or the Zila Panchayat or its constituencies are delimited or divided before the end of the term of such Panchayat but the notification of its election is not issued by the State Election Commission, for whatever reasons, within a period of eighteen months from the date of publication of such delimitation or division, then the delimitation or division of the Gram Panchayat or its wards, or the Janpad Panchayat or its constituencies, or the Zila Panchayat or its constituencies, so published, shall be deemed to be annulled at the expiry of the period of eighteen months from the date on which the said delimitation or division was published and the delimitation or division of these Panchayats and their wards or constituencies shall be done afresh according to the provisioins of this Act.".

MANGUBHAI C. PATEL
Governor
Madhya Pradesh.

BHOPAL :
Dated, the 30th December, 2021

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021